



## भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

### प्रलिस के लयः

भारतीय उच्च शकषा आयोग, राषट्रीय शकषा नीतऱ, वशऱवदऱयालय अनुदान आयोग

### मैनस के लयः

राषट्रीय शकषा नीतऱका महत्त्व, एचईसीआई के कारय और चुनौतऱयऱँ

## चर्चा में क्यऱँ?

हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कऱवह [भारतीय उच्च शकषा आयोग का मसऱदा \(वशऱवदऱयालय अनुदान आयोग का नरऱसन अधनऱयऱम\) वधऱयक, 2018](#) के मसऱदे पर फरऱ से काम कर रहे हऱँ, जो कॉलेज और वशऱवदऱयालय स्तर की शकषा हेतु [भारतीय उच्च शकषा आयोग \(HECI\)](#) को जीवंत करेगा ।

- नया संशोधतऱ मसऱदा भी [भारत की राषट्रीय शकषा नीतऱ](#) के अनुरूप होगा ।

## भारतीय उच्च शकषा आयोग वधऱयक, 2018 का मसऱदा:

### ■ परचऱय:

- यह वधऱयक "भारतीय उच्च शकषा आयोग का मसऱदा (वशऱवदऱयालय अनुदान आयोग का नरऱसन अधनऱयऱम) वधऱयक, 2018" से संबधतऱ है ।
- इसे जनवरी, 2018 में पेश कऱया गया था ।
  - लेकनऱ इसे कभी अंतऱमऱ रूप नहीं दऱया गया और दो वर्ष के भीतर [राषट्रीय शकषा नीतऱ 2020](#) की घोषणा की गई ।

### ■ प्रमुख बऱदऱ:

- यह वधऱयक [वशऱवदऱयालय अनुदान आयोग अधनऱयऱम, 1956](#) को नरऱस्त करता है और [भारतीय उच्च शकषा आयोग \(HECI\)](#) की स्थापना करता है ।
- HECI नमऱनलखऱतऱ दऱवारा उच्च शकषा में शैक्षणऱकऱ मानकऱँ को बनाए रखेगाऱ:
  - पाठयकरमऱँ के लयऱ सीखने के परणऱमऱँ को नरऱदषऱट करना ।
  - कुलपतऱयऱँ के लयऱ पात्रता मानदंड नरऱदषऱट करना ।
  - न्यूनतम मानकऱँ का पालन करने में वफऱल रहने वाले उच्च शकषण संस्थानऱँ को बंद करने का आदेश ।
- डगऱरी या डऱपऱलोमा प्रदान करने का अधकऱर प्राप्त प्रत्येक उच्च शकषण संस्थान को अपना पहला [शैक्षणऱकऱ संचालन शुरु करने के लयऱ HECI में आवेदन करना होगा](#) ।
  - HECI के पास नरऱदषऱट आधारऱँ पर अनुमतऱरऱद करने की शकतऱ भी है ।
- वधऱयक केंद्रीय मानव संसाधन वकऱस मंत्रऱी की अधकषतऱा में एक सलाहकार परषऱद के गठन का भी प्रावधान करता है ।
  - परषऱद केंदर और राज्क्यऱँ के बीच उच्च शकषा में समन्वय और मानकऱँ के नरऱधारण के लयऱ सलाह देगी ।

### ■ कवरेज:

- यह वधऱयक नमऱन 'उच्च शकषण संस्थानऱँ' पर लागू होगा जसऱमें शामिल हऱँ:
  - संसद या राज्क्य वधऱनसभाओं के अधनऱयऱमऱँ दऱवारा स्थापतऱ वशऱवदऱयालय ।
  - वशऱवदऱयालय और कॉलेज के रूप में स्थापतऱ संस्थान ।
  - इसमें राषट्रीय महत्त्व के संस्थान शामिल नहीं हऱँ ।

## वर्ष 2018 के वधऱयक में प्रमुख चुनौतऱयऱँ:

### ■ स्वायत्तता:

- वधऱयक का उददेश्य उच्च शकषण संस्थानऱँ की स्वायत्तता को बढावा देना है ।

- हालाँकि विधायक के कुछ प्रावधान इस घोषित उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं।
- यह तर्क दिया जा सकता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने के बजाय विधायक HECI को व्यापक नियामक नियंत्रण प्रदान करता है।
- **नियामक क्षेत्र:**
  - वर्तमान में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थानों को 14 व्यावसायिक परिषदों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
  - इनमें से यह विधायक कानूनी और वास्तुकला शिक्षा को HECI के दायरे में लाने का प्रयास करता है।
  - यह स्पष्ट नहीं है कि केवल इन दो क्षेत्रों को ही HECI के नियामक दायरे में क्यों शामिल किया गया है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा के अन्य क्षेत्रों को नहीं।
- **अनुदानों का वितरण:**
  - वर्तमान में UGC के पास विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान आवंटित करने और वितरित करने का अधिकार है।
  - हालाँकि यह विधायक UGC की जगह लेता है, लेकिन इसमें अनुदानों के वितरण के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं है।
  - इससे यह सवाल उठता है कि क्या उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान के वितरण में HECI की कोई भूमिका होगी।
- **स्वतंत्र वनियम:**
  - वर्तमान में केंद्रीय उच्च शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्यों को समन्वय और सलाह देता है।
  - यह विधायक एक सलाहकार परिषद का निर्माण करता है और HECI को अपनी सफारिशों को लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
  - यह HECI को एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित कर सकता है।

## HECI के कार्य:

- HECI उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में शैक्षणिक मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के तरीकों की अनुशंसा करेगा।
- यह नमिनलिखित मानदंड निर्दिष्ट करेगा:
  - पाठ्यक्रमों के लिये सीखने के परिणाम।
  - शिक्षण और अनुसंधान के मानक।
  - संस्थानों के वार्षिक शैक्षणिक प्रदर्शन को मापने के लिये मूल्यांकन प्रक्रिया।
  - संस्थानों का प्रत्यायन।
  - संस्थानों को बंद करने का आदेश।
- इसके अलावा HECI कई अन्य मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है:
  - शैक्षणिक संचालन शुरू करने के लिये संस्थानों को प्राधिकरण प्रदान करना।
  - उपाधियाँ डिप्लोमा प्रदान करना।
  - विश्वविद्यालयों के साथ संस्थानों की संबद्धता।
  - स्वायत्तता प्रदान करना।
  - श्रेणीबद्ध स्वायत्तता।
  - कुलपतियों की नियुक्ति के लिये पात्रता मानदंड।
  - संस्थानों की स्थापना और समापन।
  - शुल्क वनियमन।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का महत्त्व:

- शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के महत्त्व को पहचानना:
  - 3 वर्ष की उम्र से स्कूली शिक्षा के लिये 5+3+3+4 मॉडल अपनाने की नीति बच्चे के भविष्य को आकार देने में 3 से 8 वर्ष की उम्र के प्रारंभिक वर्षों के महत्त्व को दर्शाती है।
- साइलो मानसिकता से दूरी:
  - नई नीति में स्कूली शिक्षा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू हाई स्कूल में कला, वाणज्य और वजिज्ञान धाराओं के वभिजन में लचीलापन लाना है।
  - साइलो मानसिकता का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब कुछ वभिग या क्षेत्र एक ही कंपनी में दूसरों के साथ जानकारी साझा नहीं करना चाहते हैं।
- शिक्षा और कौशल का संगम:
  - इंटरनशिप के साथ वोकेशनल कोर्स की शुरुआत।
  - यह समाज के कमजोर वर्गों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रेरित कर सकता है।
- शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना:
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये शिक्षा का अधिकार (RTE) प्रस्तावित है।
- वदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति:
  - दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को एक नए कानून के माध्यम से भारत में संचालित करने के लिये "सुवधि" दी जाएगी।
- हिंदी बनाम अंगरेजी बहस समाप्त करना:
  - यह कम-से-कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर ज़ोर देता है, जिससे शिक्षण का सबसे

अच्छा माध्यम माना जाता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत् विकास लक्ष्य -4 (2030) के अनुरूप है। यह भारत में शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन और पुनर्रचना पर वचार करता है। कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2020)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/higher-education-commission-of-india>

